एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्ज़
ट्रस्ट (आली)

“मानव तस्करी, एक हक़ीकत”

मानव तस्करी

मानव तस्करी, मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है| श्रम, यौन शोषण के उद्देश्य से बल के प्रयोग (ज़बरदस्ती) से या धोखे से महिलाओं और बच्चों की अवैध तस्करी की जाती है, और आर्थिक लाभ के कारण महिलाओं और बच्चों को उनके शोषण के इरादे से खरीदा- बेचा जाता है|

अनुच्छेद 23: यह मानव तस्करी और बेगार (बिना भुगतान के जबरन श्रम) को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 24: यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक स्थानों में रोज़गार पर रोक लगाता है।

धारा 111 (1)- संगठित अपराध-किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से सामान्य सहमति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा लगातार कोई विधि विरुद्ध गतिविधि की जाती है, जिसमें व्यपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, संविदा पर हत्या करना, साइबर अपराध, मानव तस्करी, हथियारों या अवैध वस्तुओं या सेवाओं, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी शामिल है| प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग, हिंसा की धमकी, प्रपीड़न या अन्य गैरकानूनी साधनों द्वारा कारित करता है, वह संगठित अपराध माना जाएगा|

धारा 111 (2)- जो कोई संगठित अपराध करता है, वह-

(क) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा, जो दस लाख रुपये से कम का नहीं होगा;

(ख) किसी अन्य मामले में, उसे 5 वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पाँच लाख रुपये से कम का नहीं होगा|

धारा 111 (3)- जो कोई संगठित अपराध के लिए उकसाता है, प्रयास करता है, षड्यंत्र रचता है या जानबूझकर मदद करता है, या संगठित अपराध की तैयारी के लिए किसी अन्य कार्य में संलग्न होता है, उसे कम से कम 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पाँच लाख रुपये से कम का नहीं होगा|

धारा 111 (4)- कोई भी व्यक्ति जो किसी संगठित अपराध गिरोह का सदस्य है, उसे कम से कम 5 वर्ष का कारावास, लेकिन उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पाँच लाख रुपये से कम का नहीं होगा|

धारा 111 (5)- जो कोई जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देता है या छुपाता है जिसने संगठित अपराध का अपराध किया है, उसे कम से कम 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पाँच लाख रुपये से कम का नहीं होगा|

धारा 141- विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना - जो कोई, इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की या अठारह वर्ष से कम आयु के लड़के को, भारत के बाहर के किसी देश से, इस आशय से, कि लड़की या लड़के को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित संभोग के लिए मजबूर किया जा सकता है या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, भारत में आयात करता है उसे 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दण्डित होगा|

धारा 143- व्यक्ति का दुर्व्यापार- (1) जो कोई, शोषण के उद्देश्य से,-

(क) धमकियों का प्रयोग करके; या

(ख) बल, या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके; या

(ग) अपहरण द्वारा; या

(घ) कपट का प्रयोग कर के या प्रवंचना द्वारा; या

(ङ) शक्ति का दुरूपयोग करके; या

(च) उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की,जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरण या गृहित व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान करना या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है, वह मानव दुर्व्यापार का अपराध करता है|

धारा 143 (2)- जो कोई भी मानव दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग/ तस्करी) का अपराध करता है, उसे कम से कम 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा|

धारा 143 (3)- जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग/ तस्करी) शामिल है, वहां कम से कम दस वर्ष की कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा|

धारा 143 (4)- जहां अपराध में किसी बच्चे का दुर्व्यापार शामिल है, वहां उसे कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा|

धारा 143 (5)- जहां अपराध में एक से अधिक बच्चों की दुर्व्यापार शामिल है, वहां कम से कम 14 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा, और जुर्माने से दंडनीय होगा|

धारा 143 (6)- यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार बच्चों की दुर्व्यापार के अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास (जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा) और जुर्माने से दंडनीय होगा|

धारा 143 (7)- जब कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की दुर्व्यापार में शामिल होता है, तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, और जुर्माने से दंडनीय होगा|

दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण

धारा 144- दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण-(1) जो कोई, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी बच्चे का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे बच्चे को किसी भी तरह से लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना भी देना होगा|

(2) जो कोई, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से लैंगिक शोषण के लिए रखता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना भी देना होगा|

शिकायत कहाँ और कैसे करें ?

कोई भी व्यक्ति, जिसे मानव तस्करी से सम्बंधित जानकारी मिलती है तो वह करीबी पुलिस थाना/ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) में सूचना दे सकता है या वह स्वयं रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, हेल्पलाइन पर कॉल कर भी सूचना दे सकता है।

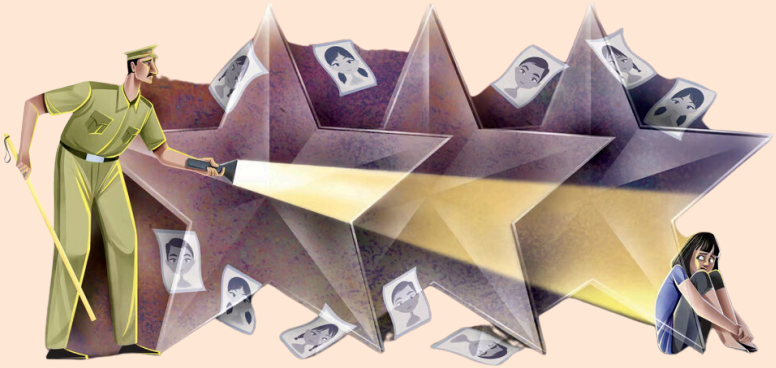

आली के बारे में-

आली महिलाओं, बच्चों, और समाज में हाशिए पर खड़े समुदायों के अधिकार की पहचान, संरक्षण व उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। नारीवादी दृष्टिकोण और अधिकार आधारित परिपेक्ष्य पर आधारित आली इस बात पर विश्वास रखती है कि क़ानून, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का ताक़तवर उपकरण है और साथ ही ख़ुद इसमें भी बदलाव की गुंजाइश है।

इसलिए आली एक बहु-आयामी रणनीतिक ढांचे के साथ काम करती है। जैसे- न्याय तक पहुँच, सक्रिय नागरिकता और ज्ञान का प्रसार आली पिछले 26 वर्षों से महिलाओं, बच्चों व वंचित समुदाय के लोगों को मुफ्त सामाजिक-क़ानूनी सहायता प्रदान कर रही है।

हेल्पलाइन नंबर-

- चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर: 1098
- महिला हेल्पलाइन नम्बर: 181
- इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन नंबर: 112
- आली से संपर्क: 9415343437

निःशुल्क सामाजिक-क़ानूनी सहायता के लिए लड़की/महिला आली से भी संपर्क कर सकती है|

यदि आप या आपकी जानकारी में किसी लड़की या महिला के साथ तस्करी की घटना हुई है या वह इससे संघर्ष कर रही हैं, तो वह निःशुल्क क़ानूनी सहायता के लिए आली से संपर्क कर सकती है |

मुख्य कार्यालय, लखनऊ:
407, डॉ बैजनाथ रोड, न्यू हैदराबाद कॉलोनी,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226007
0522-27872060/66, 9415343437

अधिक जानकारी के लिए QR Code को स्कैन करें

0522-27872060/66, 9415343437
https://www.aalilegal.org/
aali@aalilegal.org
https://www.instagram.com/aalilegal/
https://www.facebook.com/aalilegal
https://www.youtube.com/channel/

DONATE NOW